



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 18.11.2025

## थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25.08.2024 को थाना मुरादनगर पर आवेदक श्री सुशील कुमार निवासी – ग्राम मौहम्मदपुर धेदा गाजियाबाद के द्वारा तहरीर दी गई कि आवेदक के साथ अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी मौहम्मदपुर धेदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद के द्वारा धोखाधड़ी से सब रजिस्ट्रार के समक्ष सुशील बनकर सुशील के हिस्से की जमीन का बैनामा कफील अहमद पुत्र शईद अहमद निरो मौहल्ला मदरसा तहसील व जिला बुलन्दशहर व ओमप्रकाश पुत्र धन सिंह निरो मौहल्ला सरायधारी तहसील व जिला बुलन्दशहर के हक में कर देना तथा षडंयत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करना तथा वादी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त कफील अहमद व ओमप्रकाश उपरोक्त के द्वारा वादी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा-420/467/468/471/504/506/447/120वी भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

दिनांक 17-11-2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम धैंदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने लालच वश धोखाधड़ी से सब रजिस्ट्रार के समक्ष सुशील बनकर सुशील के हिस्से की जमीन का बैनामा कफील अहमद पुत्र शईद अहमद निवासी मौहल्ला मदरसा तहसील व जिला बुलन्दशहर व ओमप्रकाश पुत्र धन सिंह निवासी मौहल्ला सरायधारी तहसील व जिला बुलन्दशहर के हक में कर दिया था तथा षटंयत्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा कर लिया था, सुशील द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त कफील अहमद व ओमप्रकाश उपरोक्त के द्वारा सुशील के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रविन्द्र पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम धैंदा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष

### आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

थाना मुरादनगर पर अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त**

**गिरफ्तार।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 18.11.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया/पीडिता द्वारा लिखित तहरीर दी कि जुलाई 2025 में सिराज ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया है। अब सिराज मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादिया/पीडिता की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 69 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर आज दिनांक 18.11.2025 को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन हाल पता पहला पुस्ता इतवार बाजार रोयल गुड पब्लिक स्कूल के पास थाना खोड़ा गाजियाबाद मूल पता गांव तबालपुर थाना ढोलना जिला कासगंज उम्र 20 वर्ष को जीजी फार्म हाउस के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन द्वारा पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन ने शादी का झांसा देकर वादिया/पीडिता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहा था। जब पीडिता ने अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन से शादी करने के लिए कहा तो अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू ने शादी करने से मना कर दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन हाल पता पहला पुस्ता इतवार बाजार रोयल गुड पब्लिक स्कूल के पास थाना खोड़ा गाजियाबाद मूल पता गांव तबालपुर थाना ढोलना जिला कासगंज उम्र करीब 20 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- गिरफ्तार अभियुक्त सिराज उर्फ मोनू पुत्र हकीमुद्दीन के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

**साइबर सेल, थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 77290/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।**

दिनांक 03.10.2025 को साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता अमित कुमार उपाध्याय निवासी सै 0 -02 सी 212 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के

साथ हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के सम्बन्ध में NCRP पोर्टल पर धनराशि 77290/- रुपये की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये शिकायतकर्ता के सम्पूर्ण धनराशि 77290/- रुपये को वापस कराया गया।

### कार्यवाही का विवरण:-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता अमित कुमार उपाध्याय निवासी से 0 - 02 सी 212 वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ कुल 77290/- रुपये की ट्रेडिंग के नाम पर ऑनलाइन वित्तीय ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथवा प्रयासों के बाद वादी को कुल धनराशि 77290/- रुपये वापस कराई गयी।

### कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-

साइबर सेल थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

## यातायात माह - 2025

### ऑटो में लगी अतिरिक्त सीट एवं बम्पर के विरुद्ध चेकिंग अभियान

उत्तर प्रदेश शासन एवं यातायात निदेशालय, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में माह नवम्बर-2025 को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त-यातायात, के पर्यवेक्षण में यातायात माह के दौरान सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से लाल कुआँ क्षेत्र में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा ऑटो में लगाई जा रही अवैध रूप से अतिरिक्त सीट तथा वाहन के पिछले हिस्से में अवैध रूप से लगे बम्पर के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की गई।

चेकिंग के दौरान कुल 161 ऑटो की जांच कर 55 ऑटो में लगी अतिरिक्त सीट एवं अवैध बम्पर को गैस कटर की सहायता से मौके पर ही हटवाया गया। इन सभी ऑटो चालकों को निर्देशित किया गया कि वो भविष्य में इस प्रकार की अवैध एवं खतरनाक फिटिंग न करें, अन्यथा विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उक्त के दौरान स्वयं पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात प्रथम, यातायात निरीक्षक प्रथम/द्वितीय तथा यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

### अपील:-

गाजियाबाद यातायात पुलिस की आमजन एवं वाहन चालकों से विनम्र अपील है, कि:-

- वाहन में किसी भी प्रकार की अवैध फिटिंग, अतिरिक्त सीट या बम्पर न लगाएँ।
- ऐसे परिवर्तन न केवल कानूनी रूप से प्रतिबंधित हैं, बल्कि आपकी तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं।

- सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

### **सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा**